111/59 60B

क्रमांक A 23573

# विक्रय पत्र

## वांछित विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मालियत विक्रय पत्र | — | 16,50,000/—रूपये |
| 2. | बाजारी मूल्य | — | 24,24,000/—रूपये |
| 3. | स्टाम्प शुल्क | — | 1,21,400/—रूपये |
| 4. | सर्किल रेट भूमि | — | 6,000/—रूपये वर्गमीटर |
| 5. | क्षेत्र | — | मौजा क्यारकुली भट्टा |
| 6. | स्थान | — | देहरादून |
| 7. | भूमि का प्रकार | — | आवासीय भूमि |
| 8. | प्रमुख मार्ग से दूरी | :— | विक्रीत की जा रही भूमि मुख्य मसूरी मार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर 0 से 5 मीटर चौडी सड़क पर स्थित हैं। |
| 9. | विवरण भूमि | :— | भूमि खाता संख्या—1 (फसली वर्ष 1395 से 1400) खसरा नम्बर 594व . रकबा 404 वर्गमीटर स्थित मौजा क्यारकुली भट्टा परगना, केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून। |
| 10. | विक्रेता का नाम | :— | श्रीमती अंशु चन्द्रा पत्नी श्री रमेश चन्द्रा निवासी 57 आई0 ई0 एस0 अपार्टमेन्ट, सेक्टर—4,प्लाट न0—9, द्वारिका, दिल्ली PAN- AAFPC3630C |
| 11. | क्रेता का नाम | :— | श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह कठैत निवासी बिजली पावर हाउस, निकट आई0टी0बी0पी0 गेट,मसूरी जिला देहरादून। PAN- AWYPS8368R IN-UK 41791928031604R |

E.S.C. No-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

<u>विक्रीत भूमि का छायाचित्र</u>

भूमि खाता संख्या–1 (फसली वर्ष 1395 से 1400) खसरा नम्बर 594व रकबा 404 वर्गमीटर स्थित मौजा क्यारकुली भट्टा परगना, केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून

ह0........................विक्रेता

ह0........................क्रेता



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1115

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

### e-Stamp

सत्यमेव जयते

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK41791928031604R |
| Certificate Issued Date | : | 30-Sep-2019 02:25 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1200904/ DEHRADUN/ UK-DH |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK120090485944960283540R |
| Purchased by | : | RAMESH SINGH KATHAIT |
| Description of Document | : | Article 23 Conveyance |
| Property Description | : | KYARKULI BHATTA DEHRADUN |
| Consideration Price (Rs.) | : | 16,50,000 (Sixteen Lakh Fifty Thousand only) |
| First Party | : | SMT ANSHU CHANDRA |
| Second Party | : | RAMESH SINGH KATHAIT |
| Stamp Duty Paid By | : | RAMESH SINGH KATHAIT |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 1,21,400 (One Lakh Twenty One Thousand Four Hundred only) |

Suman Agarwal
Stamp Vendor
Dehra Dun

..............Please write or type below this line..............

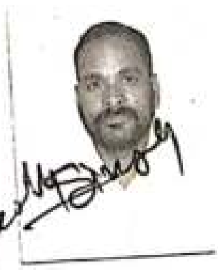

0003574748

Statutory Alert:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 11115 वर्ष 2019

Sale (Immovable) प्रतिफल रु0 : 1,650,000.00

Sale(Residential Plot) मालियत रु0 : 2,424,000.00

| रजिस्ट्रेशन शुल्क | प्रतिलिपि शुल्क | इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क | कुल योग | शब्द लगभग |
|---|---|---|---|---|
| रु0 25,000.00 | रु0 10.00 | रु0 240.00 | रु0 25,250.00 | 1,000 |

श्री रमेश सिंह् कठैत पुत्र श्री स्व० गोपाल सिंह् कठैत निवासी बिजली पवार हाउस निकट आई० टी०बी०पी० गेट मसूरी जिला देहरादून ने आज दिनांक 30 Sep 2019 समय मध्य 4PM व 5PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया ।

रमेश सिंह् कठैत

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
30-Sep-2019

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती अंशु चन्द्रा पत्नी श्री रमेश चन्द्रा निवासी आई० ई० एस० अपार्टमेंट सेक्टर ४ प्लाट न० ९ द्वारिका दिल्ली । ने विक्रय धन मुबलिग रु0 1,650,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री रमेश सिंह् कठैत पुत्र श्री स्व० गोपाल सिंह् कठैत निवासी बिजली पवार हाउस निकट आई० टी०बी०पी० गेट मसूरी जिला देहरादून । ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री रमेश चन्द्रा पुत्र श्री चरणदास निवासी ३७ आई० ई० एस० अपार्टमेंट सेक्टर ४ प्लाट न० ९ द्वारिका दिल्ली तथा श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ० निवासी कोर्ट कंपाउंड देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
30-Sep-2019

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

# विक्रय पत्र

मैं कि श्रीमती अंशु चन्द्रा पत्नी श्री रमेश चन्द्रा निवासी –57 आई0 ई0 एस0 अपार्टमेन्ट, सेक्टर–4,प्लाट न0–9, द्वारिका, दिल्ली–78

......................विक्रेता

एवं

श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह कठैत निवासी बिजली पावर हाउस, निकट आई0टी0बी0पी0 गेट, मसूरी जिला देहरादून।

.................क्रेता

विदित हो कि विक्रेता इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि की एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासी है तथा सूची में वर्णित भूमि की बावत मुझ विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी दर्ज चला आ रहा है और सूची में वर्णित भूमि इस समय तक हर प्रकार के भार, अधिभार बन्धन, बन्धक, ऋण, आज्ञप्ति, कुर्की, वाद–विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से मुक्त व पाक साफ है तथा विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को प्रत्येक प्रकार से प्रयोग, उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तरित, हस्तान्तरित आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जैसा कि विक्रेता ने सूची में वर्णित भूमि इसके पूर्व स्वामी श्री गजे सिंह रावत पुत्र श्री मोहर सिंह रावत निवासी ग्राम क्यार कुली भट्टा, जिला देहरादून से विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1992 के द्वारा क्रय की थी जिसका इन्द्राज सबरजिस्ट्रार महोदय देहरादून के कार्यालय में बही न0–1 जिल्द–1 पृष्ठ–97 एडीफा बुक न0–1 जिल्द 168 पृष्ठ 411 से 422 में दस्तावेज संख्या–7153 पर दिनांक 21.02.1992 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता ने सूची में वर्णित भूमि क्रेता को मु0 **16,50,000/– रूपये (सोलह लाख पचास हजार रूपये)** में विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेता भी इसी कीमत में क्रय करने को सहमत है। इस कारण यह विलेख अंकित किया जा रहा है।

__अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है__ :–

1. यह कि क्रेता ने उपरोक्त वर्णित भूमि के अन्तर्गत विक्रेता को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि **16,50,000/–**रूपये निम्न प्रकार अदा कर दिये हैं :–



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क) मु0 5,00,000/–रूपये द्वारा ड्राफ्ट संख्या–464912एस0बी0आई0 शाखा जी.एन.एफ.सी. स्कूल,मसूरी, देहरादून दिनांक 16.04.2019

ख) मु0 6,50,000/–रूपये द्वारा ड्राफ्ट संख्या–464932एस0बी0आई0 शाखा जी.एन.एफ.सी. स्कूल,मसूरी, देहरादून दिनांक 03.07.2019

ग) मु0 5,00,000/–रूपये द्वारा ड्राफ्ट संख्या–464944एस0बी0आई0 शाखा जी.एन.एफ.सी. स्कूल,मसूरी,देहरादून दिनांक 27.08.2019

जिनकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता अपनी पूर्ण सन्तुष्टि में सब रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून के समक्ष करती है तथा विक्रय मूल्य की बाबत अब कुछ भी लेना शेष नही रह गया है।

2. यह कि उपरोक्त विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्ति की एवज में विक्रेता ने सूची में वर्णित भूमि तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार कि जिनमें हवा, पानी, रास्ता, नाली, आदि आदि के सुखाअधिकार शामिल हैं तथा वे सुखाअधिकार कि जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त हैं तथा भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं। स्थायी रूप से सदैव हेतु क्रेता को विक्रीत, अन्तरित एवं हस्तान्तरित कर दी है तथा स्थल से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर अपने समान बतौर मालिक स्वामी क्रेता को काबिज व अध्यासित करा दिया है।

3. यह कि आज से क्रेता विक्रीत भूमि का विक्रेता के समान एकमात्र मालिक काबिज हो गया हैं। आज से क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठावे, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लावे, व्यापार करे, रहन, विक्रय, दान वसीयत आदि करें, मानचित्र स्वीकृत कराये, निर्माण करे, विजली, पानी आदि लगवाये, तहसील के अभिलेखो में अपना नाम अंकित करायें। विक्रेता को विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार प्राप्त थे, वे सब आज क्रेता को प्राप्त हो गये हैं तथा आज से क्रेता विक्रीत भूमि का स्वामी, काविज, मालिक हो गया हैं।

4. यह कि विक्रीत भूमि की बावत आज तक के जो भी टैक्स वाजिब हैं उनको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज के बाद से क्रेता की होगी।

5. यह कि यदि क्रेता को भविष्य में विक्रीत भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख लिखाने की आवश्यकता हुई तो विक्रेता ऐसा लेख क्रेता के व्यय पर लिखने के लिए सदैव तैयार रहेगी।



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6. यह कि यदि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में कमी पायी जाने के कारण अथवा भार बन्धन आदि भविष्य में प्रकट होने के कारण अथवा विक्रेता के किसी दोष के कारण कुल विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के अधिकार, स्वामित्व तथा कब्जे आदि से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकल गयी भूमि के अनुपात का यथार्थ मूल्य अपने हर्जे व खर्चे आदि सहित विक्रेता से व उनकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें, इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित अभिलेखों में बतौर स्वामी अपना नाम अंकित करा लें। विक्रेता नामांकन की कार्यवाही में क्रेता को पूर्ण सहयोग देगी।

8. यह कि इस विक्रय पत्र में विक्रेताव क्रेता में उनके उत्तराधिकारी,वारिसान, स्थानापन्न व हितप्रतिनिधि आदि भी शामिल है व सदैव शामिल समझे जायेंगे।

## वांछित विवरण

1. यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
2. यह कि विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नही है।
3. यह कि विक्रीत भूमि नगर पालिका मसूरी की सीमा से बाहर स्थित है।
4. यह कि विक्रीत भूमि में कोई पेड़ बाग, निर्माण व नलकूप आदि नहीं है।
5. यह कि विक्रीत की जाने वाली भूमि औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित है।
6. यह कि क्रेता के परिवार के नाम उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2003 से पूर्व की भूमि है, जिस कारण उत्तराखण्ड भू-अध्यादेश के प्राविधान लागू नही होते है।
7. यह कि विक्रीत की जा रही भूमि मुख्य मसूरी मार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है जिसका सर्किल रेट मु0 6000/-रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि का बाजारी मूल्य 24,24,000/-रूपये होती है जिस पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से मु0 1,21,400/-रूपये का अदा किया जा रहा है।
8. यह कि विक्रीत भूमि रियल स्टेट एक्ट 2016 एवं यथा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) जनरल रूल्स 2017 में परिभाषित रियल स्टेट प्रोजैक्ट (ग्रुप हाऊसिंग, मिक्सड् डेवलपमेन्ट प्रोजैक्ट्स रिजिडेन्सियल, कॉमर्सियल तथा प्लाटेट डेवलमेन्ट प्रोजैक्ट्स) के अन्तर्गत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है एवं विक्रेता प्रमोटर्स/डेवलपर्स अथवा रियल स्टेट एजेन्ट नहीं है। पक्षकारो द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

9. यह कि क्रेता एवं विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज व क्रेता एवं विक्रेता के निर्देश पर उक्त विक्रय विलेख पृष्ठांकित किया गया है और क्रेता एवं विक्रता ने उक्त विलेख को पढकर समझकर एक-दूसरे के सामने अपने-अपने फोटो चस्पाकर हस्ताक्षर किये हैं तथा गवाहों ने भी क्रेता एवं विक्रेता की सही रूप से पहचान कर उक्त विक्रय विलेख पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये है।

10. यह कि भूमि अक्षांश -30.442222 व देशान्तर 78.071068 पर स्थित है।

## विवरण भूमि

भूमि खाता संख्या-1 (फसली वर्ष 1395 से 1400) खसरा नम्बर 594व रकवा 404 वर्गमीटर स्थित मौजा क्यारकुली भट्टा परगना, केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है :-

पूरब में :- रास्ता, 12 फीट

पश्चिम में :- भूमि विक्रेता

उत्तर में :- आम रास्ता पत्पश्चात भूमि पावर हाउस

दक्षिण में :- भूमि विक्रेता

**विक्रेता का नाम-** श्रीमती अंशु चन्द्रा पत्नी श्री रमेश चन्द्रा

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दांये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

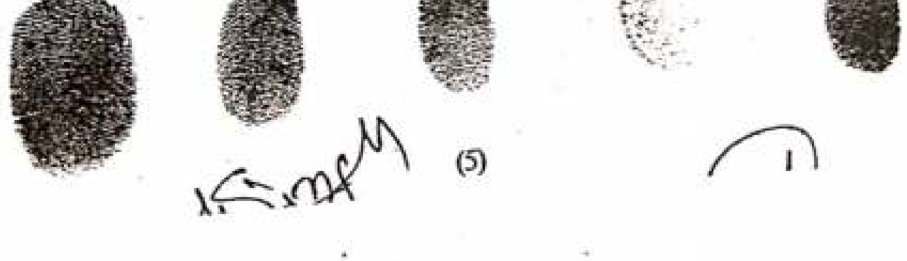



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्रेता का नाम –श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह कठैत

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

| अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

दायें हाथ (RIGHT Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

| अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|---|---|---|---|---|

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 30–09–2019 को स्थान देहरादून में निम्न साक्षियों के समक्ष अंकित व सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम-आवे।

ह0..............विक्रेता

ह0..............क्रेता

साक्षी 1–
रमेश चन्द्रा
पुत्र श्री चरण दास
निवासी–57 आई0ई0एस0 अपार्टमेन्ट,
सेक्टर–4,प्लाट न0–9, द्वारिका,
दिल्ली–78
PAN- AAFPC3631C

साक्षी 2
राजेश कुमार
एडवोकेट
रजि0न0 473 / 2016

रचियता : अनन्तपाल सिंह
एडवोकेट

टंकनकर्ता – सुभाष चन्द्र



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Manoj Saili, *Advocate*

Resi: Enviorneal Cottage Estate,
Balahissar Mussoorie,
Distt. Dehradun, .
Uttarakhand.
Phone: (0135) 2632520,
9837080320

Off: No.1, Lawyers' Chambers,
Nagar Palika Road, Mussoorie.
Mussoorie, Distt. Dehradun,
Uttarakhand.
Phone: (0135) 2631520 (m)

Dated 17.12.2019

To,

The Senior/Chief Manager,
Bank of Baroda
The Mall Mussoorie.

Dear Sir/Madam,

REG: Title Opinion Report certifying non encumbrance of the property detailed all that Bhoomi Khata No. 1 (Fasli year 1395 to 1400) Khasra no. 594 & Rakba 404 sq. mtrs. situated in Mauza Kiyarkuli Bhatta, Pargana Central Doon, Tehsil & Distt. Dehradun.

Refer to your letter dated 05-12-2019 requesting me to furnish non encumbrance and certify and submit the Title cum Opinion Report about the clear and marketable title to the above property to be mortgaged for securing the credit facility's granted/proposal to be granted to (borrower)- Mr. Ramesh Singh Kathait s/o late Gopal Singh Kathait, R/o Power House, near I.T.B.P. Gate, Mussoorie, Distt. Dehradun.

| | |
|---|---|
| 1. Description an Area of the property proposed to be mortgaged.<br>Specific number(s) and address of property along with boundaries and measurements. | All that Bhoomi Khata No. 1 (Fasli year 1395 to 1400) Khasra No. 594 Ba & Rakba 404 sq. mtrs. situated in Mauza Kiyarkuli Bhatta, Pargana Central Doon, Tehsil & Distt. Dehradun. butted and bounded as under:-<br>East: 12 ft. wide passage.<br>West: Land of seller.<br>North: Common passage thereafter land of power house.<br>South: land of seller. |
| 2. Nature of Property (Whether Agricultural Non-Agricultural Commercial, Residential or Industrial)<br>If non-Agricultural, the reference & date of conversion order from the competent authority should also be mentioned | Residential. |
| 3. Name of the Mortgager/Owner and status in the Account i.e borrower(s) or guarantor and whether individual, Sole Proprietor, Partner, Director, Karta or Trustee.<br>In case the Mortgager is partner/Director/ Trustee who is mortgaging the property on behalf of Partnership/ Company/ Company/ | Mr. Ramesh Singh Kathait s/o late Gopal Singh Kathait, R/o Power House, near I.T.B.P. Gate, Mussoorie, Distt. Dehradun. |

ADVOCATE Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| Trust, Whether he/she has the authority. Copy of the Resolution/Memorandum & Articles of Association/Trust Deeds etc whether examined and verified. | |
| 4. Whether any minor lunatic or un-dis charged insolvent is contacting Precautionarysteps to be taken. | Not applicable. |
| 5. Whether the property is Freehold or Leasehold. If Lease hold then period of lease and if Freehold Whether Urban Land ceiling Act applies and permission to be obtained. | Free hold. |
| 6. Source of Property i.e Self acquired or Ancestral. If Ancestral then mode of succession and Whether Original Will/Probate is available. | Self acquired |
| 7. Whether the Mortgager is Co- Owner/Joint owner and/or any partition of the Property is made between the members of the family through Partition Deeds. If yes, Whether Original Registered Partition Deeds is available or it is only a family settlement. | Absolute owner |
| 8. Whether the Mortgager is in exclusive possession of the property. Or it is leased/rented out to third party. | Exclusive owner in possession. |
| 9. Whether the property is mutated in municipal/Revenue records and Mortgagor's name is reflecting and if not the reason thereof. | Mutation in Revenue Record. |
| 10. Whether any restriction for creation of mortgage is imposed under Central/State Local Laws.If yes then specify whose consent or permission would be required for creation of mortgage. | Not applicable. |
| 11. Whether all the Original Title deeds including antecedent Title deeds and other relevant documents are available. Please give detailed list | Yes, Original deed dt. 30-09-2019, registered as book no.1, vol. 3244, on pages 189/212 as document no. 11115, in the office of S.R., III, Dehradun. |
| 12. Whether the Advocate has personally visited the Sub Registrar/Revenue /Municipal office and examined the records. | Visited in the office of Sub Registrar Dehradun vide receipt No. 332/48 dated 06.12.2019 from 1989 to 2019 |
| 13. Whether the Search is being made for the period of 30 years. If no reason thereof. | Yes,<br>Visited in the office of Sub Registrar Dehradun vide receipt No. 332/48 dated 06.12.2019 from 1989 to 2019 |
| 14.Details of documents examined/scrutinized (Which are in chronological order with serial numbers,type/nature of document date of execution, parties, date of registration details including the details of revenue/society records etc.) | Yes, Original deed dt. 30-09-2019, registered as book no.1, vol. 3244, on pages 189/212 as document no. 11115, in the office of S.R., III, Dehradun. |
| 15. Tracing of chain of title in favour of the Mortgagor/owner starting from the earliest | Original sale and Khata Khatoni should be |

ADVOCATE Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| document available. The nature of document/Deed conveying the title should be mentioned with description of parties along with the type of right it creates. | deposited in the bank |
| 16. Whether there is any doubt/suspicious about the genuiness of the Original documents.If yes, then Specify. | No |
| 17. The final Certificate of the Advocate confirming that title of the property's to be mortgaged is examined by him and the same is/are clear and marketable. | Title of the property is genuine and enforceable under law. |
| 18. List of documents to be deposited for creation of Mortgage by the mortgagor including any additional document required in addition to the documents available. | Yes, Original deed dt. 30-09-2019, registered as book no.1, vol. 3244, on pages 189/212 as document no. 11115, in the office of S.R., III, Dehradun. |
| 19. Whether any additional formalities to be completed by the proposed Mortgagor.If yes, state apecially in case of Flat(s) Property(s) in Co-op Societies whether allotment letter, possession letter share, certificate, affidavit, power of attorney etc. is required. | No |

SARFAESI Act 2002 is applicable to the property.

Date: 17.12.2019.

MANOJ SAILI ADVOCATE Mussoorie

Signature of the Advocate

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Brief History:-

Whereas ancestors of Sri Gajai Singh were Bhumidhar/owner of Khasra No. 594 & Rakba 3600 Sq.Mtrs since 1952. Therafter Sri Gajai Singh sold the said Khasra No. 594 area measuring 0.10 Acre to Smt. Ansu Chandra vide Sale deed dated 18.11.1992 registered in book No. 1 , Volume 1, page 97 , as document No. 7153 on 02.12.1992. Thereafter Smt. Ansu Chandra sold part of said property to Sri Ramesh Singh Kathait measuring 404 Sq.Mtrs. vide registered sale deed dated 30.09.2019 book No. 1, Volume 1, pages 189 to 212 as No. 11115 on 30.09.2019 in the office of sub registrar 3rd Dehradun.

Date: 17.12.2019

MANOJ SAILI ADVOCATE
Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner